राजस्थान सरकार

केन्द्रीय वित्त मंत्री
द्वारा
बजट पूर्व आयोजित बैठक

सम्बोधन

अशोक गहलोत
मुख्य मंत्री राजस्थान

नई दिल्ली

13 जनवरी, 2010

माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी, राज्यों के मुख्य मंत्रिगण एवं वित्त मंत्रिगण,

केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी द्वारा गत वर्ष से केन्द्रीय बजट से पूर्व राज्यों से विचार विमर्श की एक स्वस्थ परम्परा प्रारंभ की गई है जो सराहनीय है। केन्द्रीय बजट के राज्यों के संदर्भ में भी दूरगामी परिणाम होते हैं, अतः यह चर्चा विशेष महत्त्व रखती है। वैश्विक मंदी की पृष्ठभूमि में केन्द्रीय बजट के माध्यम से उठाये जा रहे कदम राज्यों के आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने के लिये आवश्यक हैं।

2. हमारे राज्य में IIM और IIT स्थापित करने के लिये मैं वित्त मंत्रीजी का इस अवसर पर आभार प्रकट करना चाहूँगा।

3. मेरा सुझाव है कि बजट पूर्व चर्चा की जो परम्परा केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने प्रारम्भ की है वैसी ही परम्परा रेल बजट से पूर्व रेल मंत्रीजी द्वारा भी प्रारम्भ की जाये तो यह राज्यों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने में प्रभावी होगी। यहाँ पर मैं प्रस्तावित दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर का उल्लेख करना चाहूँगा जिसका लगभग 39 प्रतिशत भाग राजस्थान में आयेगा। इस डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण से हमारे राज्य

की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा यह राज्य के आर्थिक विकास में सहायक होगा। मुझे प्रसन्नता है कि इस संदर्भ में यह घोषणा की गयी है कि देश का प्रथम राष्ट्रीय निवेश एवं उत्पादन केन्द्र राज्य में स्थापित किया जायेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस कॉरीडोर का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

4. वैश्विक मंदी के दुष्प्रभाव से उबरने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गत वर्ष तीन stimulus package लागू किये गये, उनके परिणामस्वरूप हम पूँजी निवेश को बनाये रखने में सफल हुए हैं एवं राज्यों के योजनागत व्यय में कमी नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि चालू वर्ष में राज्यों को GSDP के 4 प्रतिशत तक अपना राजकोषीय घाटा रखने के लिये दी गई छूट के परिणामस्वरूप राज्य पूंजी निवेश हेतु आवश्यक संसाधन जुटा सके हैं। आगामी वर्ष के लिये भी राज्यों हेतु पर्याप्त संसाधन जुटाना तब ही संभव होगा जब कि राजकोषीय घाटे को 4 प्रतिशत की सीमा तक रखने की छूट दी जाये।

5. राज्यों की 'borrowing limit' निर्धारित करते समय केन्द्र सरकार द्वारा अभी भी राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के उन्ही आकड़ों का आधार लिया जा रहा है जो बारहवें वित्त आयोग ने अनुमानित किये थे, जबकि अब इस अवधि के CSO द्वारा की गई

गणना के आंकड़े भी उपलब्ध हैं। इसका परिणाम यह रहा है कि जिन राज्यों की GSDP, बारहवें वित्त आयोग के अनुमानों से अधिक रही है उनकी 'borrowing limit' तुलनात्मक रूप से कम निर्धारित हुई है, इसके विपरीत जिन राज्यों की GSDP अनुमानों से कम रही है उन्हें अधिक 'borrowing limit' मिल रही है। इस असंतुलन के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि 'borrowing limit' निर्धारित करते समय GSDP के लिये CSO के नवीनतम आकड़े लिये जायें।

6. केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतर केन्द्रीय प्रवृर्तित योजनाओं की राशियाँ सीधे ही कार्यकारी एजेन्सियों को हस्तान्तरित की जाने लगी हैं। केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जा रही कई महत्त्वाकांक्षी योजनाओं जैसे महानरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि की राशियाँ सीधे बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाती हैं। इन योजनाओं की कुल राशि का आकलन किया जाये तो यह काफी अधिक है जो राज्य में खर्च होती हैं किन्तु इनका लेखांकन राज्य के लेखों एवं बजट में नहीं होता है। इन राशियों के सही उपयोग पर राज्य का प्रभावी नियंत्रण भी नहीं रह पाता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुरूप नहीं है तथा हमारी संघीय व्यवस्था की भावना से भी मेल नहीं खाती है। अतः मेरा यह आग्रह है कि आगामी बजट में वित्त मंत्रीजी सभी केन्द्रीय

योजनाओं की राशियाँ राज्य सरकार के माध्यम से ही देने की घोषणा करें।

7. यहाँ पर मैं GST लागू करने के संबंध में भी हमारे दृष्टिकोण का खुलासा करना चाहूँगा। हम कर सुधारों के पक्षधर रहे हैं। हमारे राज्य में VAT भी प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में जब राज्य संसाधनों की कमी से जूझ रहा है हम GST लागू करते समय इस संबंध में अवश्य आश्वस्त होना चाहेंगे कि इसका हमारी राजस्व आय पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। GST की जो भी दरें निर्धारित की जायें, वे revenue neutral हों, और इसके बावजूद राजस्व में किसी भी प्रकार की कमी होने की स्थिति में केन्द्र सरकार उसकी शत प्रतिशत भरपाई करे।

8. अब मैं हमारे राज्य की पीने के पानी की सबसे गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देश का 10 प्रतिशत भू भाग और 5 प्रतिशत जनसंख्या होते हुए भी मात्र 1 प्रतिशत जल संसाधन होने के कारण राज्य में भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है एवं भूजल की गुणवत्ता की भी बड़ी समस्या है। राज्य में सतही जल की उपलब्धता बहुत सीमित होने के कारण लगभग 92 प्रतिशत पेयजल परियोजनाएं भूजल पर आधारित हैं। चालू वर्ष में बड़ी संख्या में गाँवों,

ढ़ाणियों व कई शहरों एवं कस्बों में टेंकरों से पेयजल की आपूर्ति करनी पड़ेगी।

9. पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान सतही स्त्रोंतों पर आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन से ही संभव है। राज्य का दो तिहाई भाग मरुस्थलीय होने से आबादी की सघनता कम है व प्रतिव्यक्ति पेयजल आधारभूत ढ़ाचें की लागत बहुत अधिक है। हमारा अनुमान है कि सभी प्रदेशवासियों के लिये शुद्ध पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के लिये लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। इनमें से 20 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं किन्तु संसाधनों की कमी के कारण इनके क्रियान्वयन में बहुत लम्बा समय लगेगा।

10. अतः जैसा कि मैंने गत वर्ष भी कहा था, केन्द्र सरकार राज्य को पेयजल के लिये विशेष दर्जा प्रदान करे एवं प्रतिवर्ष अतिरिक्त धनराशि वृहद पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण कराने हेतु उपलब्ध कराये।

11. National Rural Drinking Water Programme के नवीन दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप राज्य के ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिये वार्षिक केन्द्रीय आवंटन में 500 करोड़ रुपये की कमी आई है। केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले

परिवारों को 2012 तक जल सुरक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान को इस हेतु अधिक धन राशि यदि आवंटित नहीं की जाती है तो यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा।

12. इसी प्रकार AIBP के तहत विशेष श्रेणी के राज्यों/क्षेत्रों को 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देय है जबकि गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को 25 प्रतिशत सहायता ही देय है। अतः मेरा आग्रह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के समान राजस्थान को भी AIBP (Accelerated Irrigation Benefit Programme) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता हेतु विशेष राज्य की श्रेणी दी जानी चाहिये।

13. जल संसाधन क्षेत्र के अतिरिक्त हमारे राज्य के लिये सबसे संवेदनशील क्षेत्र बिजली की आपूर्ति है। हमारा राज्य विद्युत सुधार की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में रहा है किन्तु अभी भी माँग एवं आपूर्ति में बहुत बड़ा अन्तर है जिसके परिणामस्वरूप हमारा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपभोग राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। हमने हमारे योजना व्यय में विद्युत उत्पादन पर सबसे अधिक बल दिया है। चालू वर्ष में कुल योजना व्यय का लगभग 44 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र के लिये रखा गया है। इसी प्रकार आगामी वर्ष की प्रस्तावित योजना में भी ऊर्जा क्षेत्र को विशेष

प्राथमिकता देते हुए लगभग 55 प्रतिशत आवंटन इस क्षेत्र हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है। स्टेट सैक्टर में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 3150 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विपरीत अभी तक 1040 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता सृजित की जा चुकी है। शेष 2110 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट्स का कार्य प्रगति पर है, जिसे वर्ष 2011–12 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 660 मेगावाट के चार सुपर क्रिटीकल पावर प्लांट्स जिसमें दो छबड़ा व दो सूरतगढ़ में स्थापित होंगे, की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन सुपर क्रिटीकल पावर प्लांट्स को वर्ष 2012–13 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

14. राज्य की बिजली कम्पनियों की वित्तीय स्थिति गंभीर है तथा इन कम्पनियों के घाटे एवं इनका ऋणभार निरंतर बढ रहा है। राज्य Fiscal Restructuring Programme के तहत इन कम्पनियों के घाटे वहन करने के लिये वचनबद्ध है किन्तु राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं। गत वर्ष के अंत तक इन कम्पनियों के पेटे राज्य सरकार की लगभग 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियाँ सृजित हो गई हैं। पर्याप्त संसाधनों के अभाव में इन देनदारियों का चुकारा संभव नहीं हो सका है जिसके कारण इन कम्पनियों द्वारा बड़ी

मात्रा में महंगे ऋण लेने के परिणामस्वरूप कम्पनियों की वित्तीय स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि केन्द्र सरकार इस संवेदनशील विषय पर गंभीरता से विचार करे एवं राज्यों हेतु एक ऐसा विशेष पैकेज निर्धारित किया जाये, जिससे इन विद्युत कम्पनियों को वित्तीय संकट से उबरने में राहत मिल सके। उदाहरणार्थ केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को उनकी देनदारियों की सीमा तक पावर बोण्ड्स जारी करने के लिये अधिकृत कर सकती है। इसे एकमुश्त राहत के रूप में मानते हुए राज्य की borrowing limit से अलग रखा जाये तथा इस पर देय ब्याज के पेटे केन्द्र सरकार राज्यों को अनुदान देवे।

15. केन्द्र सरकार ने महानरेगा लागू करके राजस्थान जैसे राज्य जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की एक गंभीर समस्या रहती है, एक अत्यन्त सराहनीय पहल की है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत राजीव गाँधी सेवा केन्द्र एवं पंचायत भवनों के पक्के कार्य ही अनुमत हैं तथा schedule-2 में दर्शाये गये वॉटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के पक्के कार्य भी कराये जा सकते हैं। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये, 100 दिन के रोजगार की सीमा को बढ़ाया जाना एवं अनुमत कार्यों की सूची को और व्यापक करते हुए पक्के कार्यों पर अधिक बल देना आवश्यक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों

के आधारभूत ढ़ाचे को सुदृढ़ किया जा सके और जनसुविधाओं का भी विकास हो। मेरा यह भी सुझाव है कि शहरों की तर्ज पर ही गाँवों के लिये भी मास्टर प्लान बनाये जाने चाहिये ताकि गाँवों का भी सुनियोजित विकास हो सके। इस मास्टर प्लान में शामिल जनसुविधाओं के विकास के कार्यों को भी महानरेगा के अन्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में शामिल किया जाना चाहिये।

16. महानरेगा की महत्त्वाकांक्षी योजना में भ्रष्टाचार को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिये राज्य सरकार अपने स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से प्रभावी कदम उठा रही है किन्तु केन्द्र सरकार भी इस विषय पर विचार कर ठोस कार्ययोजना लागू करती है तो इसके दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे।

17. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के पश्चात आपदा राहत प्रबंधन के संदर्भ में दो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, एक Disaster Management Act का लागू होना, दूसरा नरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराना। हालांकि तेरहवें वित्त आयोग ने इससे जुड़े हुए बिन्दुओं पर विचार किया होगा, किन्तु मैं वित्त मंत्रीजी का भी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। Disaster Management Act के तहत राज्य एवं जिला स्तर पर चार फण्ड्स

गठित किये जाने हैं, किन्तु इस हेतु धन राशि कैसे उपलब्ध होगी यह स्पष्ट नहीं है। अतः हमारा सुझाव है कि आपदा राहत निधि की तर्ज पर केन्द्र सरकार इन फण्ड्स हेतु 75 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में दे। इसके अतिरिक्त आपदा राहत निधि एवं राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को जारी रखते हुए यह व्यवस्था की जाये कि आपदा की स्थिति में नरेगा के अन्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण होने पर आपदा राहत निधि से रोजगार की व्यवस्था हो।

18. राज्य में तेल और गैस के प्रचुर भण्डारों की उपलब्धता से यह आशा जगी है कि इसके माध्यम से राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिये पर्याप्त संसाधन प्राप्त हो सकेंगे। गत वर्ष भी मैंने राज्य में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की घोषणा करने का आग्रह किया था, जिसे मैं दोहराना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार आगामी बजट में राज्य में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की घोषणा करे। इससे जहाँ काफी संख्या में रोजगार के साधन विकसित होंगे वहीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

19. गत बजट में हमने राज्य में surface rent लागू करने की घोषणा की थी। यह प्रकरण लम्बे समय से केन्द्र सरकार के स्तर पर अनुमति हेतु विचाराधीन है। हमारा आग्रह है कि इस संबंध में

शीघ्र निर्णय लिया जा कर केन्द्र सरकार की अनुमति दी जाये।

20. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं भारत निर्माण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाले एवं मरुस्थलीय तथा जनजाति क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के गाँवों को सड़कों से जोड़ना है। वर्तमान में सामान्य क्षेत्रों में 250 से अधिक तथा जनजाति एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या वाले गाँवों को सड़कों से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। हमारे राज्य में लगभग 4500 गाँव ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों में नहीं आते हैं। मेरा सुझाव है कि इस योजना के दिशा निर्देशों में परिवर्तन किया जाये ताकि इन गाँवों को भी सड़कों से जोड़ा जा सके।

21. राज्य सरकार ने 8 नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये हैं जिनके माध्यम से 2120 किलोमीटर की सड़कों को इनमें शामिल किया जाना है। मेरा आग्रह है कि इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिये।

22. जयपुर शहर की यातायात की गंभीर समस्या के समाधान हेतु मैट्रो रेल प्रोजेक्ट लागू करना प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना हेतु तेज गति से

कार्य किया जा रहा है तथा DPR तैयार की जा रही है। इस परियोजना पर लगभग 8000 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। राज्य का अंशदान उपलब्ध कराने के लिये हमारे पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। इस परियोजना के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार इस हेतु राज्य को अलग से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के लिये विभिन्न उपकरणों एवं मशीनों का आयात करना होगा। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन उपकरणों एवं मशीनों पर आयात शुल्क नहीं वसूला जाये, ताकि परियोजना की लागत को सीमित रखा जा सके।

23. JNNURM के अन्तर्गत वर्तमान में जयपुर, अजमेर एवं पुष्कर ही शामिल हैं। यदि 5 लाख से अधिक आबादी के सभी शहरों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाता है तो जोधपुर, कोटा और बीकानेर इससे लाभांवित होंगे। इन शहरों में नगरीय आधारभूत ढ़ांचे का विकास संभव होगा एवं शहरों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराई जा सकेंगी।

24. Urban Infrastructure Development Scheme for small and medium towns के अन्तर्गत 38 प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत 610 करोड़ रुपये है, स्वीकृत किये गये थे। राज्य में 140 से अधिक कस्बे ऐसे हैं जहाँ इस

योजना के अन्तर्गत कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की गई है। अतः 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त केन्द्रीय आवंटन उपलब्ध कराया जाये ताकि विभिन्न शहरों एवं कस्बों के infrastructure projects, Central Sanctioning Committee को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जा सकें।

25. हमारा प्रस्ताव है कि Income Tax Act की धारा 80(1B) के अन्तर्गत EWS एवं LIG श्रेणियों की गृह निर्माण परियोजनाओं को 5 वर्ष की अवधि के लिये पुनः छूट प्रदान की जाये। पूर्व में दी गई छूट की अवधि 31 मार्च, 2008 को समाप्त हो गई थी। इस छूट से private developers को गृह निर्माण परियोजनाएं लागू करने हेतु प्रेरित किया जा सकेगा।

26. निजी आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिये जाने वाले ऋणों के पेटे ब्याज भुगतान की income tax से छूट की सीमा 1.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करना उचित होगा। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी एवं रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित होंगे।

27. विभिन्न विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास, जो कि राज्य के द्वारा अधिनियमों से सृजित हुए हैं, का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जन सुविधाएं सुलभ कराना एवं basic infrastructure development

कराना है। अतः मेरा सुझाव है कि इन संस्थाओं को income tax से मुक्त रखा जाना चाहिये।

28. एतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण राज्य शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के लागू करने से शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अंशदान में कटौती कर राज्य के अंशदान निरंतर बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2001–02 में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 85:15 था, जो घटकर वर्ष 2009–10 में 60:40 हो गया है। भारत सरकार द्वारा इसे आगामी वर्ष में 55:45 किया जा रहा है। संसाधनों के अभाव के कारण राज्य के पास अन्य योजनाओं से कटौती कर इस कार्यक्रम हेतु राज्य का अंशदान उपलब्ध कराना पड़ रहा है। अतः हमारा अनुरोध है कि सर्व शिक्षा अभियान में राज्य का अंशदान 40 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जाये।

29. राज्य के बड़े क्षेत्रफल एवं छितरी हुई आबादी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एक चुनौती रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं के स्तर में एक व्यापक सुधार आया है। हमारे राज्य में कई CHCs, PHCs एवं सब सेन्टर्स ऐसे हैं जिनके भवन नहीं है।

इन भवनों के निर्माण एवं जिला अस्पतालों में अतिरिक्त प्रसूति कक्षों के एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु आगामी 2 वर्षों में लगभग 2500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। वर्तमान में NRHM के flexible pool में निर्माण कार्यों हेतु 33 प्रतिशत की अधिकतम सीमा है। राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए निर्माण कार्यों हेतु अतिरिक्त आवंटन एवं 33 प्रतिशत की अधिकतम सीमा समाप्त करना प्रस्तावित है।

30. राज्य में 1 जनवरी, 2009 से मुख्य मंत्री BPL जीवन रक्षा कोष योजना प्रारंभ की गई है जिसके अन्तर्गत एक व्यक्ति के इलाज के लिये कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के लिये यह योजना वरदान सिद्ध हुई है। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस योजना के अन्तर्गत 70 प्रतिशत अंशदान उपलब्ध कराया जाये।

31. राज्य में 164 एम्बूलेंस '108' सेवा के रूप में कार्यरत हैं तथा चालू वर्ष के अंत तक 150 अतिरिक्त एम्बूलेंस जोड़ने की योजना है। इसी प्रकार आगामी वर्ष 136 एम्बूलेंसों की वृद्धि करते हुए कुल संख्या 450 तक बढ़ाई जायेंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2010–11 के लिये केवल 40 प्रतिशत आवर्ती खर्चे एवं 2011–12 के लिये 20 प्रतिशत आवर्ती खर्चे के लिये अनुमति दी

है। इस योजना के लाभों एवं लोकप्रियता को देखते हुए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सम्पूर्ण पूंजीगत खर्चा तथा 50 प्रतिशत आवर्ती खर्चा NRHM के तहत वहन करने की अनुमति दी जाये।

32. अजमेर और जयपुर में हुए बम धमाकों से उत्पन्न हुई स्थिति से आप अवगत है। इन घटनाओं से राज्य के सुरक्षा तंत्र, सूचना तंत्र, पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की मदद की आवश्यकता है। राजस्थान में इन हादसों की वजह से पर्यटन, उद्योग में निवेश इत्यादि प्रभावित हुआ है। इनको बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा के वातावरण में सुधार लाया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लंबा अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डर और मरुस्थलीय ईलाका होने के कारण यह समस्या और गंभीर स्वरूप धारण कर लेती है। अतः राजस्थान की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस एवं खुफिया तंत्र को चुस्त–दुरूस्त करने के लिये राज्य को विशेष सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन गठित करने के प्रस्ताव भेजे हुए हैं जिन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त जोधपुर से खोखरापार को जोड़ने वाली थार लिंक एक्सप्रेस की सुरक्षा हेतु बीच में पड़ने वाले विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर

आवश्यक उपकरणों इत्यादि की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

33. केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2006 में अल्पकालीन फसली ऋणों की ब्याज दर को 11.5 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया था। परिणामस्वरूप 4.5 प्रतिशत घाटे की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार ने वर्ष 2007–08 में 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं वर्ष 2008–09 में 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया। वर्ष 2009–10 में ब्याज अनुदान को घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया। मेरा आग्रह है कि सहकारी संस्थाओं के पास संसाधनों के अभाव की स्थिति को देखते हुए उनको घाटे से उबारने के लिये वर्ष 2010–11 में भी पूर्व भी भांति 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाये।

34. वर्ष 2006–07 में केन्द्रीय बजट में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण व्यवसाय से होने वाली आय पर आय कर लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से सहकारी बैंक जो पहले से ही घाटे में चल रहे थे, उनका घाटा बढ़ गया। सहकारी बैंकों को 2 प्रतिशत की दर से जो ब्याज अनुदान दिया गया, लगभग उतनी ही राशि सहकारी बैंकों को आयकर के रूप में देनी पड़ रही है, जिससे सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति और कमजोर हुई है। अतः मेरा निवेदन है कि आयकर की धारा 80पी(i) एवं पी(ii)

को संशोधित कर सहकारी बैंकों को आय कर के दायरे से बाहर किया जाये।

35. राज्य में लगभग 29 लाख किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं जिसमें से सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड से 40–45 प्रतिशत ही refinance सुविधा मिलने के कारण लगभग 17 लाख किसानों को ही ऋण सुविधा दी जा रही है। अतः मेरा यह आग्रह है कि नाबार्ड से 60 प्रतिशत refinance सुविधा दिलाई जाये, ताकि सभी क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को ऋण सुलभ हो सके।

36. भारत सरकार द्वारा सात प्रकार की disabilities के आधार पर पेंशन स्वीकृत करने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुसरण में राज्य सरकार ने भी सभी सातों disabilities के आधार पर पेंशन की पात्रता निर्धारित कर दी है। हमारा यह आग्रह है कि निराश्रित/मानसिक विकलांगों एवं इनके बच्चों के कल्याणार्थ केन्द्र सरकार द्वारा योजना क्रियान्वित की जाये। मानसिक निशक्त जनों को आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं दवाइयों सहित विशेष शिक्षकों के माध्यम से इनके पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये जिसके लिये केन्द्र सरकार सहायता राशि राज्यों को उपलब्ध कराये एवं संबंधित संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करे।

37. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की दरों में बढ़ोतरी अप्रेल, 2006 में की गई थी। इसके उपरान्त महंगाई काफी बढ़ चुकी है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी पर विचार किया जाना चाहिये।

38. मिड–डे मील योजना के अन्तर्गत केन्द्रीकृत रसोई घरों को केटरिंग सुविधा की श्रेणी में मानते हुए उन पर सर्विस टैक्स लागू किया गया है जबकि यह कार्य समाज सेवा की श्रेणी में आता है। अतः मेरा प्रस्ताव है कि इन केन्द्रीकृत रसोई घरों को सर्विस टैक्स से मुक्त किया जाये।

39. मिड–डे मील योजना के अन्तर्गत भोजन पकाने वाले कुक को देय मानदेय में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिये। प्रत्येक विद्यालय में दो कुक रखे जाये एवं इनको देय मानदेय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाये।

40. भारत सरकार की राष्ट्रीय गौ एवं भैस प्रजनन परियोजना के अन्तर्गत गाय एवं भैस की बीमा योजना का लाभ वर्तमान में 22 जिलों में ही दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत बीमा राशि के प्रीमियम का 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के शेष 11 जिलों में भी इसे लागू किया

जाना चाहिये, जिससे प्रदेश के समस्त पशुपालकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

41. अन्त में मैं पुनः वित्त मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस महत्त्वपूर्ण विषय पर यह बैठक आयोजित की एवं हमारे विचार जाने। मैं आशा करता हूँ कि केन्द्र सरकार का आगामी बजट आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा तथा समाज के कमजोर वर्गों को सम्बल प्रदान करेगा।

जय हिन्द

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

PRE-BUDGET MEETING
OF
THE UNION FINANCE MINISTER

ADDRESS BY

Ashok Gehlot

Chief Minister of Rajasthan

New Delhi

13 January, 2010

Hon'ble Union Finance Minister, Chief Ministers and Finance Ministers of States.

1. The Union Finance Minister had last year initiated this praiseworthy and healthy tradition of having pre-budget consultations with the State Governments. These consultations have a special significance in view of the far-reaching consequences the Union Budgets tend to have with regard to the States. The various measures announced in the Union Budget play a very crucial role in sustaining the tempo of economic development of States, particularly in the backdrop of global recession.

2. I take this opportunity to express my gratitude to Hon'ble Finance Minister for establishing IIM and IIT in Rajasthan.

3. I would like to suggest that pre-budget consultations, as started by the Hon'ble Finance Minister, should also be undertaken by the Hon'ble Railway Minister before the presentation of Union Railway budget as these consultations help ascertain and assess the genuine requirements of the States. In this context, I would like to make a mention of the proposed Delhi-Mumbai

Industrial corridor. Rajasthan will be sharing about 39% part of this corridor. Construction of this dedicated freight corridor will go a long way in promoting commercial activities of the State and contribute to the economic development. I am glad that an announcement has been made in this context that the country's first national investment and manufacturing centre would be established in the State. I hope that the task of constructing the corridor will be taken up at the earliest.

4. The Union Government implemented three stimulus packages last year in a bid to shield the economy against the ill-effects of global meltdown. As a result of these packages, we have been successful in sustaining capital investment. Moreover, even the plan expenditures of the States have not witnessed any decline. It is worth mentioning that the States were allowed to keep their fiscal deficit to the tune of 4% of GSDP during the current financial year. It has helped the States in arranging the resources required for capital investment. The States will be able to arrange the resources during the next financial year also provided they

are allowed to keep their fiscal deficit to the tune of 4% of GSDP.

5. The GSDP data as estimated by the Twelfth Finance Commission are still being regarded as the basis for determining the borrowing limit of the States despite the fact that latest CSO data for the period are available now. This has led to an imbalance because the States that enjoyed GSDP higher than the estimates of Twelfth Finance Commission ended up with a comparatively less borrowing limit. Contrary to this, the States that had GSDP less than the estimates are enjoying higher borrowing limit. In order to do away with this imbalance, it is imperative that the latest CSO data should be taken into account while determining the borrowing limit.

6. The Union Government has started transferring the funds of most of the Centrally Sponsored Schemes directly to the executing agencies. Funds of several flagship schemes such as M NREGS, Pradhanmantri Gramin Sadak Yojna, National Rural Health Mission, Sarva Shiksha Abhiyan etc. are directly transferred to the bank accounts. A significant amount of these schemes is

spent in the States. Nevertheless, this amount is not recorded in the accounts and budget of the States. The States are not able to have an effective control over the optimum utilization of these funds. This process is not in consonance with the constitution and the spirit of our federal system. I would request the Hon'ble Union Finance Minister to announce in his next budget speech that funds for all Centrally Sponsored Schemes will be allocated through the State Government.

7. I would like to make a detailed mention of our stand on Goods and Services Tax regime. We have always favoured tax reforms. VAT is being implemented in a very effective manner in Rajasthan. At a time when the State is grappling with resource crunch, we would like to be assured that the implementation of GST would have no adverse impact on our revenue. The rates of GST should be revenue neutral. In case of revenue loss due to GST, the same should be compensated 100% by the Central Government.

8. Now, I would like to draw your attention to the problem of drinking water which is assuming serious proportions in

Rajasthan. The State has 10% of the total geographical area of the country and 5% of country's population, and a meagre 1% of its water resources. These factors have led to an over exploitation of groundwater. The quality of ground water is also a major problem. The State has a very limited availability of surface water due to which 92% of the drinking water projects are dependent on ground water. Drinking water for villages, hamlets, several cities and towns will have to be supplied by means of tankers this year.

9. A permanent solution to the problem of drinking water is possible through the implementation of projects based on surface water sources. The density of population is very low as two-thirds of the State is desert. Therefore, the cost of per capita drinking water infrastructure is very high. It is estimated that a sum of around Rs. 50,000 crores needs to be invested for providing good quality drinking water to the people of the State. Ongoing projects amounting to Rs. 20,000 crores may take a long time in their implementation due to shortage of financial resources.

10. As I had said last year also, the Union Government should place the State under special category with regard to drinking water and should provide additional funds annually for the completion of major drinking water projects.

11. The annual central allocations for the State's rural drinking water programme have been reduced to the tune of Rs. 500 crore as a result of the new guide lines issued for the National Rural Drinking Water Programme. The Central Government has targeted to provide water security to rural families by the year 2012. The State will not be able to achieve this target if more funds are not provided to the State Government.

12. States enjoying special category under AIBP are entitled to receive 90% of central assistance whereas States placed under the non-special category are entitled to 25% of the central assistance. I would request that Rajasthan should also be accorded special category status under AIBP like Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and North East States.

13. Apart from water resources, another sensitive area is the supply of electricity for the State. Rajasthan has been a leading State in implementing power reforms, yet there is a huge gap between supply and demand. As a result of it, the per capita power consumption in the State is very low compared to the national average. About 44% of the total plan outlay of the current financial year has been earmarked for the power sector. As the State accords top priority to power sector, about 55% of the plan allocations are being proposed for power sector for the next year also. Additional power generation of the tune of 3150 MW was targeted for the State in the 11th Plan period. The State has so far installed 1040 MW additional power capacity against the target. The work for the remaining 2110 MW capacity power plant is in progress, and is targeted to be completed by 2011-12. In addition, four super critical power plants of 660 MW capacity have already been sanctioned. Two of these plants will be set up at Chhabara and the remaining two at Suratgarh. These super critical power plants are targeted to be completed by 2012-13.

14. The power companies of the State are passing through serious financial crisis and their losses and debts are continuously rising. The State is committed to bear these losses under the Fiscal Restructuring Programme but the State Government does not have enough resources. These companies have created liabilities for the State Government to the tune of about Rs. 15000 crores by the end of last year. The Government has not been able to discharge these liabilities for want of adequate funds. Therefore, these companies have had to resort to heavy borrowings which have led to the deterioration of their financial health. The Union Government is, therefore, urged to consider this sensitive issue and roll out a special package for the States which would provide relief to these companies in tiding over their financial crisis. The Central Government, for instance, could authorize the State Government to issue power bonds to the extent of their liabilities. These should be deemed as lump sum relief over and above the borrowing limit of the States. The Central Government may also provide

grant to the States to the extent of additional interest burden.

15. The implementation of M NREGS is a commendable initiative particularly for a State like Rajasthan which confronts with the serious problem of unemployment in the rural areas. Pucca works for Rajiv Gandhi Seva Kendra and panchayat buildings are currently allowed under the scheme. Similarly, Pucca works like Water Harvesting structures as listed in schedule-2 can also be carried out under the scheme. In order to make the scheme more effective, the present limit of 100 days employment needs to be raised and the schedule of admissible works needs to be made comprehensive while laying more emphasis on pucca works. This will help in strengthening the basic infrastructure in rural areas and in developing the public amenities. I would suggest formulating of master plans for the villages in rural areas also so that planned development could be ensured in the rural areas as well. Development works under the rural master plan should be included in the list of admissible works under M NREGS.

16. Prevention of corruption in a flagship scheme like M NREGS is a major challenge. The Government of Rajasthan is taking steps to prevent corruption in M NREGS by conducting social audit of the works undertaken. However, the issue of corruption merits consideration on the part of the Central Government also. A concrete action plan, if implemented, will have far reaching benefits.

17. Two significant changes have taken place after the recommendations of Twelfth Finance Commission pertaining to disaster management. These are, enactment of Disaster Management Act and creation of employment opportunities in rural areas under M NREGS. Though the Thirteenth Finance Commission must have deliberated upon the issues, yet I would like to draw the attention of the Hon'ble Finance Minister towards them. Four types of funds are to be created at the State and district levels under the Disaster Management Act. However, it is not clear as to how these funds are going to be made available. Therefore, I would like to suggest that Centre should contribute 75% of the amount to these

funds as is being done in the case of Calamity Relief Fund. While continuing the scheme of Calamity Relief Fund and the National Calamity Contingency Fund, an arrangement should be made under which employment could be provided, through CRF in the event of scarcity, to those who have completed 100 days employment under M NREGS.

18. In view of the availability of vast reserves of oil and natural gas in the State, we hope to have adequate resources so that the State could join the league of developed States. I had requested the Hon'ble Finance Minister last year to announce the setting up of an oil refinery in the State. I take this opportunity to reiterate my request. This refinery will definitely create substantial amount of employment opportunities and will accelerate commercial activities in the desert region.

19. In the budget last year, we had announced the levy of ‘surface rent’ in the State. This matter has been awaiting approval of the Central Government for a long time now. I urge upon the Central Government to expedite the matter at the earliest.

20. The objective of the PMGSY and Bharat Nirman Yojna is to provide road connectivity in villages having population of more than 500, and in the desert and tribal areas having population of more than 250. As of now, there is no scheme to provide road connectivity in villages of desert and tribal areas having population of less than 250 and, for villages in other areas having population of more than 250. The State of Rajasthan has more than 4500 villages which are not covered under the guidelines of PMGSY. My suggestion is that the PMGSY guidelines should be revised so that such villages could also be provided with road connectivity.

21. The State has submitted proposals for 8 new national highways covering a road length of 2120 km. I would like to urge upon the Central Government to make necessary provisions in this regard.

22. In view of the serious traffic problems in the city of Jaipur, work on the Metro Rail Project has been undertaken. DPR is being prepared for the speedy implementation of the project. The estimated cost of Metro Rail project is Rs. 8000 crores. We do not have enough resources to contribute the

State's share. The Central Government must provide additional financial support to this project of great importance. I also urge the Central Government to accord exemption from custom duties for the equipments and machinery to be imported for the project.

23. Till now, only three cities namely Jaipur, Ajmer and Pushkar are included in the JNNURM. If all the cities with a population of more than 5 lac are included in this scheme, then the cities of Jodhpur, Kota and Bikaner can also be benefited. This will help improve the urban infrastructural facilities in these cities and the urban poor will also be benefited.

24. 38 projects costing about Rs. 610 crores have so far been sanctioned under the UIDSSMT scheme in the State. There are still 140 towns in the State for which no financial assistance has been provided under this scheme. Hence, it is requested that an additional financial allocation of Rs. 1000 crores should be provided so that the infrastructure projects for these towns can be submitted to the Central Sanctioning Committee.

25. We propose that the relaxation under section 80 (1B) of the Income Tax Act

should be provided again for a period of 5 years for the projects related to construction of houses under EWS and LIG categories. It is pertinent to mention here that the period of exemption provided earlier expired on 31st March, 2008. This exemption will encourage the private developers to come forward and implement housing projects.

26. To promote construction of private houses, the ceiling of relaxation from income tax on interest payments of housing loans should be increased from the existing ceiling of Rs. 1.50 lacs to Rs. 3 lacs. This will give impetus to economic development and creation of employment opportunities in the State.

27. The core function of the development authorities and urban improvement trusts established under the State acts, is to develop basic infrastructure and to provide civic amenities to the public. In view of this, my suggestion is that these institutions should be exempted from the income tax.

28. The State has lagged behind in the field of education on account of historic reasons. A remarkable improvement has been visible in the facilities available in

the education sector after the implementation of Sarva Shiksha Abhiyan. Under the scheme, the central contribution is continuously being reduced while the State's contribution is being increased. In the year 2001-02, the ratio of Centre's and State's contribution stood at 85:15. This ratio got reduced to the level of 60:40 in the year 2009-10. The Government of India is going to further reduce it to the level of 55:45. In view of the paucity of resources, the State Government is forced to provide funds for this project by curtailing funds of the other projects. Hence, my suggestion is that the share of State's contribution in SSA project should not be more than 40%.

29. In view of the vast geographical area and low population density the arrangement of medical facilities in the rural areas is a challenging task. NRHM has brought about a perceptible improvement in the medical and health facilities. There are a number of CHCs and PHCs and sub-centers in the State without proper buildings. The State needs an additional fund of Rs. 2500 crores for the construction of these buildings and additional labour rooms in district hospitals in the next two years.

Presently, there is a limit of 33% for construction works in the flexible pool of NRHM. In view of the special circumstances prevailing in the State, 33% limit for the civil works should be removed and an additional allocation should also be granted to the State.

30. The State has started Mukhaya Mantri BPL Jeevan Raksha Kosh Yojna from 1st January, 2009. Under this scheme, there is no maximum limit for the expenditures of treatment. The scheme has proved to be a life line for BPL families. It is an earnest request to the Union Government to contribute to the tune of 70% to this scheme.

31. Presently, there are 164 ambulances operating as part of 108 services. The State proposes to add 150 more ambulances by the end of the current financial year and 136 additional ambulances by the end of the next financial year taking the final tally to 450. The ministry of Health and Family Welfare has allowed only 40% recurring expenditure for the year 2010-11 and 20% for the year 2011-12. In view of the utility and popularity of the scheme, I would like to request the Union Government to bear the entire capital

expenditure and 50% recurring expenditure of this scheme under NRHM.

32. You are aware of the situation that arose in the wake of bomb blasts in Ajmer and Jaipur. In the aftermath of these incidents, the State needs central assistance to strengthen the security apparatus. These bomb blasts have adversely affected the tourism and investment in industrial sectors. It has become imperative to improve the security environment in the State. In view of the long international border and widespread desert region, this problem acquires serious dimensions. Therefore, we need special financial assistance from the center to gear up the security and intelligence mechanism. The State Government has sent proposals to the Central Government for constituting an additional India Reserve Battalion. A quick decision is required on these proposals. Besides it, equipments are required to be provided for the security at the stations falling enroute Jodhpur – Khokharapar Thar Link-Express.

33. Interest rates for short term crop loans were reduced from 11.5% to 7% by the Central Government in the year 2006. To offset the deficit of 4.5%, the Central Government had given the interest

subsidy of 2% in the year 2007-08 and 3% in year 2008-09. This interest subsidy has been reduced to 2% in the year 2009-10. In view of the weak financial position of the cooperative institutions, I would like to suggest that this interest subsidy should again be raised to 3% in 2010-11, so that these cooperative institutions can overcome the deficit.

34. In the year 2006-07 the Central Cooperative Banks were brought under the purview of Income Tax. This has further worsened their already deficit conditions. The 2% interest subsidy given to the cooperative banks was, in a way, taken back by way of income tax. This proved to be a severe blow to their financial health. In this backdrop, my request is that section 80 P (i) and P (ii) of the income tax should be amended to the effect that the CCBs are exempted from the levy of Income Tax.

35. Out of the 29 lacs farmers having the Kishan Credit Cards in the State, only 17 lacs are being provided loan facility due to the fact that refinance facility by the NABARD to the CCBs is merely to the tune of 40-45%. My request is to increase the refinance facility from NABARD to the level of 60% so that all the farmers having

Kishan Credit Cards can avail of the loan facility.

36. The Government of India had announced the pension facility for which 7 types of disabilities were made to be the qualifying base. In pursuance of the announcement, the State Government has decided the eligibility criteria for pension based on the disabilities as mentioned the guidelines of the Central Government. I urge upon the Centre to frame schemes for the welfare of those who have none to look after them and also for the persons with mental disability and also their children. The center should provide financial assistance to the State for the rehabilitation and training by way of accommodation, food, clothing, medical facilities and specially trained teachers to help the mentally disabled people.

37. The last revision of the pension rates under the Indira Gandhi Rastriya Vradhavastha Pension scheme was done in 2006. Since then, cost indices have increased substantially. Hence, a further upward revision in the pension amount should be considered.

38. Service tax was imposed on central kitchens of the Mid-Day-Meal Scheme

considering them to be catering services whereas these kitchens are meant for complete social service. Hence, my proposal is that these kitchens should be exempted from the service tax.

39. The rate of charges payable to the cooks working in the mid-day-meal should be increased. In addition to this, each school should be provided with two cooks and expenditure on that should be borne by the Central Government.

40. The benefits of insurance scheme under "राष्ट्रीय गौ एवं भैंस प्रजनन परियोजना'' are currently available to only 22 districts of the State. Under this scheme, subsidy to the extent of 50% of insurance premium is provided by the Central Government. My suggestion is that the coverage of this scheme should be further widened so that the remaining 11 districts of the State can also be benefited.

41. I extend my sincere thanks to the Hon'ble Finance Minister for providing us the suitable platform for expressing our views on the issues of public importance. I hope that the next union budget would further accelerate the economic growth of the country and empower the underprivileged sections of the society.